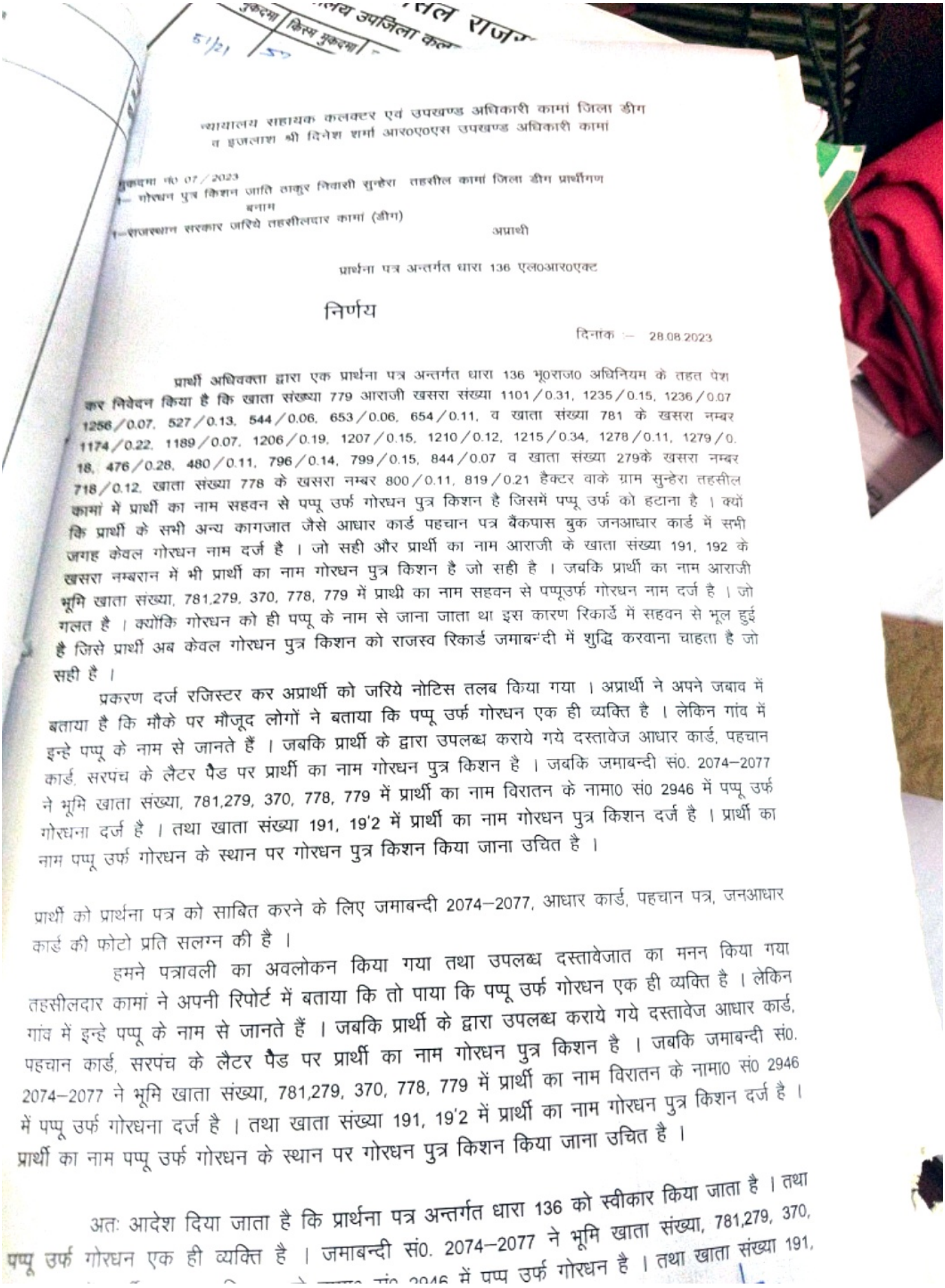

मुकदमा | किस्म मुकदमा

51/21

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 07/2023
1— गोरधन पुत्र किशन जाति ठाकुर निवासी सुन्हेरा तहसील कामां जिला डीग प्रार्थीगण
बनाम
1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (डीग)
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 28.08.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 779 आराजी खसरा संख्या 1101/0.31, 1235/0.15, 1236/0.07 1256/0.07, 527/0.13, 544/0.06, 653/0.06, 654/0.11, व खाता संख्या 781 के खसरा नम्बर 1174/0.22, 1189/0.07, 1206/0.19, 1207/0.15, 1210/0.12, 1215/0.34, 1278/0.11, 1279/0. 18, 476/0.28, 480/0.11, 796/0.14, 799/0.15, 844/0.07 व खाता संख्या 279के खसरा नम्बर 718/0.12, खाता संख्या 778 के खसरा नम्बर 800/0.11, 819/0.21 हैक्टर वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां में प्रार्थी का नाम सहवन से पप्पू उर्फ गोरधन पुत्र किशन है जिसमें पप्पू उर्फ को हटाना है । क्यों कि प्रार्थी के सभी अन्य कागजात जैसे आधार कार्ड पहचान पत्र बैंकपास बुक जनआधार कार्ड में सभी जगह केवल गोरधन नाम दर्ज है । जो सही और प्रार्थी का नाम आराजी के खाता संख्या 191, 192 के खसरा नम्बरान में भी प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र किशन है जो सही है । जबकि प्रार्थी का नाम आराजी भूमि खाता संख्या, 781,279, 370, 778, 779 में प्राथी का नाम सहवन से पप्पूउर्फ गोरधन नाम दर्ज है । जो गलत है । क्योंकि गोरधन को ही पप्पू के नाम से जाना जाता था इस कारण रिकार्ड में सहवन से भूल हुई है जिसे प्रार्थी अब केवल गोरधन पुत्र किशन को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शुद्धि करवाना चाहता है जो सही है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने अपने जबाव में बताया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पप्पू उर्फ गोरधन एक ही व्यक्ति है । लेकिन गांव में इन्हे पप्पू के नाम से जानते हैं । जबकि प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान कार्ड, सरपंच के लैटर पैड पर प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र किशन है । जबकि जमाबन्दी सं0. 2074—2077 ने भूमि खाता संख्या, 781,279, 370, 778, 779 में प्रार्थी का नाम विरातन के नामा0 सं0 2946 में पप्पू उर्फ गोरधना दर्ज है । तथा खाता संख्या 191, 19'2 में प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र किशन दर्ज है । प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ गोरधन के स्थान पर गोरधन पुत्र किशन किया जाना उचित है ।

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी 2074—2077, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति सलग्न की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तो पाया कि पप्पू उर्फ गोरधन एक ही व्यक्ति है । लेकिन गांव में इन्हे पप्पू के नाम से जानते हैं । जबकि प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान कार्ड, सरपंच के लैटर पैड पर प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र किशन है । जबकि जमाबन्दी सं0. 2074—2077 ने भूमि खाता संख्या, 781,279, 370, 778, 779 में प्रार्थी का नाम विरातन के नामा0 सं0 2946 में पप्पू उर्फ गोरधना दर्ज है । तथा खाता संख्या 191, 19'2 में प्रार्थी का नाम गोरधन पुत्र किशन दर्ज है । प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ गोरधन के स्थान पर गोरधन पुत्र किशन किया जाना उचित है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को स्वीकार किया जाता है । तथा पप्पू उर्फ गोरधन एक ही व्यक्ति है । जमाबन्दी सं0. 2074—2077 ने भूमि खाता संख्या, 781,279, 370, 778, 779 में प्रार्थी का नाम विरातन के नामा0 सं0 2946 में पप्पू उर्फ गोरधन है । तथा खाता संख्या 191,